सुविधाओं में देरी, स्वास्थ्य सचिव ने शपथपत्र पेश किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: राज्य के एकमात्र सेंदरी मानसिक चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ के समक्ष राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि चिकित्सालय में स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं में समय लग रहा है।

याचिका में उठाए गए सवाल: रायपुर के अधिवक्ता विशाल कोहली ने अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की थी। साथ ही इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। याचिका में कहा गया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का पालन राज्य में नहीं हो रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुसार हर 10 हजार की आबादी पर एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, जबकि छत्तीसगढ़ में 8 लाख की आबादी पर एक मनोचिकित्सक उपलब्ध है। प्रत्येक जिले में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और मनोचिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य है, लेकिन यह व्यवस्था नहीं है। सेंदरी मानसिक चिकित्सालय में 11 मनोचिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल केवल 3 सायकेट्रिस्ट कार्यरत हैं। वहीं, एक ईएनटी और एक आर्थोपेडिक विशेषज्ञ की नियुक्ति की गई है।

● प्रतीकात्मक चित्र

कोर्ट ने ये दिए थे निर्देश

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि मानसिक रोगियों के इलाज की व्यवस्था और चिकित्सकों की नियुक्ति पर जानकारी प्रस्तुत की जाए। तब शासन ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अस्पताल की विस्तर क्षमता 200 तक बढ़ाई जाएगी और डाक्टरों की कमी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। गुरुवार को दाखिल शपथपत्र में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि शासन अपने स्तर पर भर्ती और अन्य सुधारात्मक कदम उठा रहा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है। इस पर अदालत ने मामले की निगरानी जारी रखते हुए अगली सुनवाई सितंबर माह में निर्धारित कर दी।